भारतीय राजस्व सेवा कराधान प्रणाली का मुख्य आधार है-लोक सभा अध्यक्ष

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2014 : लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षणाधीन अधिकारियों के लिए संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा 14 से 18 जुलाई, 2014 तक आयोजित किये जा रहे परिबोधन पाठय़क्रम का उदघाटन किया।

इस अवसर पर श्रीमती महाजन ने कहा कि वर्ष 2014-15 के केन्द्रीय बजट में लगभग 18 लाख करोड़ रूपये के खर्च का अनुमान है और इसकी व्यवस्था के लिए 13 लाख 64 हजार करोड़ रूपए के खर्च का अनुमान है। सवाल यह है कि यह टैक्स मिलेगा कैसे, कहां से और इसे कौन इकट्ठा करेगा ? निश्चय ही यह कार्य ऐसे अफसर करेंगे जो उत्साही हों,, जिनमें काम करने का जज्बा हो और वे प्रोफेशनल व ट्रेंड भी हें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय राजस्व सेवा, कराधान प्रणाली का मुख्य आधार है , जिसे आर्थिक मोर्चे की कमान सौंपी गई है। इन्हीं अफसरों को देश की अर्थव्यवस्था सशक्त बनाने के लिए कर आधार बढ़ाने और देश के विकास के ढांचे को मजबूत करने का चुनौतीपूर्ण कार्य भी सौंपा गया है। उन्होंने आगे कहा कि केवल प्रवर्तन अधिकारी (इन्फोर्समेंट आफिसर) के रूप में ही नहीं, बल्कि एक समन्वयकर्ता के रूप में भी उनसे कार्य करने की आशा की जाती है।

यह विचार व्यक्त करते हुए कि पारदर्शिता और जवाबदेही लोक प्रशासन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, श्रीमती महाजन ने कहा कि इनकम के सोर्सेस डिसाइड (तय) करने और टैक्स कलेक्शन के मामले में न्यायिक शक्तियों से सम्पन्न होने के नाते भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों को अपनी टीमों के साथ सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और समर्पण भाव से काम करना है। साथ ही अपने कार्य में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सभी को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी उनको निभानी है। उनसे हमेशा के लिए अपेक्षा है कि वह सभी सत्यनिष्ठा,पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है।

श्रीमती महाजन ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं के कार्यों खासकर संसदीय प्रणाली के स्वरूप की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सभी अनुदानों की मांग और कराधान प्रस्ताव कार्यपालिका द्वारा तैयार किए जाते हैं किंतु व्यय की स्वीकृति केवल संसद ही दे सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार बेहतर ढंग से कार्य करे और जनादेश का दुरूपयोग न करे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस परिबोधन कार्यक्रम से प्रशिक्षणाधीन अधिकारियों को संसदीय संस्थाओं की भूमिका और उनके कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।